# न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल परिहार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः–. 18 / 2021

अपीलार्थीगणः–

1. शांति पुत्री भेराराम पत्नी शंकरलाल, जाति–भील, निवासी– लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. मालाराम पुत्र मुथरा पुत्री भेराराम जाति भील, निवासी– गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. बालाराम पुत्र मुथरा पुत्री भेराराम, जाति– भील, निवासी– गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. धनाराम पुत्र मुथरा पुत्री भेराराम, जाति– भील, निवासी– गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. ओमाराम पुत्र मुथरा पुत्री भेराराम, जाति– भील, निवासी– गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. भपली पुत्री मुथरा पुत्री भेराराम, जाति– भील, निवासी– गांव पिपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7. जगदीश पुत्र दियावकी पुत्री भेराराम, जाति–भील, निवासी– गांव पिपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
8. लीला पुत्री दियावकी पुत्री भेराराम, जाति–भील, निवासी– गांव पिपरली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
9. ओमी पुत्र दियावकी पुत्री भेराराम, जाति–भील, निवासी– गांव सिनली तहसील लूणी जिला जोधपुर।
10. संतोष पुत्री दियावकी पुत्री भेराराम, जाति–भील, निवासी– गांव पतवाड़ा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर।

**बनाम**

रेस्पोडेन्टसः–

1. सुरजाराम पुत्र भेराराम, जाति–भील, निवासी– गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. राजूराम पुत्र भेराराम, जाति–भील, निवासी– गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान्, जरिये सरपंच तहसील लूणी जिला जोधपुर।

***अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 38 गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर जो ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् तहसील लूणी द्वारा दिनांक 31.03.1973 को स्वीकार किया गया।***

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

**आदेश** दिनांकः– 28/3/2022

उपस्थितिः– श्री सिद्धार्थ परिहार, श्री सुर्यप्रकाश पंवार अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री मनीष पंवार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।
रेस्पोडन्ट संख्या 03 की ओर से कोई उपस्थित नही।

अपीलार्थीगण की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि अदालत मताहत ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलार्थी एवं स्व. भेरा की पुत्रीयों को कोई नोटिस नहीं दिया एवं तमाम कार्यवाही बाला–बाला करते हुए नामान्तरकरण स्वीकार दिया। ग्राम पंचायत द्वारा हल्का पटवारी ने भेरा के फौत होने पर उसके वारिसान के बारे में विधिवत् कोई जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया एवं मृतक की पुत्रीयों को उनके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जायज अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है। ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं नामान्तरकरण जैर अपील अनाधिकार पूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है। मृतक भेरा की पुत्रीयों को उनके विरासत के अधिकार से वंचित करने के कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नही थे जो अधिकार भेरा की पुत्रीयां को विरासत में अर्जित हुए वैसे ही अधिकार पुत्रों को अर्जित हुए जबकि नामान्तरकरण जैर अपील में केवल रेस्पोडेन्ट का ही नाम दर्ज किया गया। नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि इसकी कार्यवाही करने एवं नामान्तरकरण स्वीकार करने राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स की कोई पालना नहीं की गई तना ही नहीं अकेले सरपंच द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। ग्राम पंचायत की कोई बैठक भी आयोजित नहीं की गई। विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करते समय कानून में जो विधिक प्रकिया वर्णित है उसकी कोई पालना इस मामले में नहीं गई इस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त करने योग्य है। विवादग्रस्त खसरा नं. 185 गांव भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर भूमि पर अपीलार्थीगण बहैसियत स्व. भेरा के वारिसान के काबिज है एवं काश्त करते है। ग्राम पंचायत ने कब्जे के बारे में कोई जांच ही नहीं की एवं नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया। अन्य उजरात बरवक्त बहस किये जायेगें।

अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावें अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 38 निरस्त किया जावें एवं रेस्पोडेन्ट साथ मृतक भेरा की पुत्रीयों का नाम भी दर्ज किया जावें।

अपीलार्थीगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिम का प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुई विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब अपील मय लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि हमारे पिता भेराराम का स्वर्गवास सन् 1973 में हो चुका है। भेराराम के प्रथम श्रैणी के वारिसान वंशावली में दर्शाये गये है। भेराराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान में बहिन मुथरा एवं दिवायकी का स्वर्गवास हो गया है मथुरा के वारिसान अपील में अपीलार्थी संख्या 02 से 06 व दिवायकी के वारिसान अपीलार्थी संख्या 07 से 10 है। भेराराम जी की खातेदारी में फौतदगी नामान्तरकरण भरवाने बाबत् हम अपनी बहिनो से मिले और कहां कि आपतो अपने ससुराल चली गई तो खातेदारी भूमि में अपने भाईयों के नाम से म्यूटेशन भरवा दे लेकिन बहिनो कहा कि जमीन पिता के नाम की थी पिताजी की जमीन में हमारा भी हिस्सा बनता है। हमारे हिस्से का उपयोग व उपभोग हम ही करेगें। हमने बहनो से समझाईश की परन्तु नहीं मानी। ग्राम गुड़ा विश्नोईयान के पटवारी से मिले ओर स्व भेराराम के सभी वारिसानों की जानकारी हल्का पटवारी को दे दी और पटवारी ने भी हमको सतुंष्ट कर दिया की मैं स्व. भेराराम जी के सभी वारिसानों के नाम म्यूटेशन भर दूंगा। हल्का पटवारी गुड़ा विश्नोईयान ने स्व. भेराराम के पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण भरा और सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। पुत्रीयों का नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं किया गया लेकिन हमने पटवारी हल्का को सभी वारिसान को जानकारी दे दी थी। हल्का पटवारी ने बहिनो का नाम क्यो नहीं भरा किस कारण नहीं भरा इसकी जानकारी हमें न तो पता है न ही जानकारी है। नामान्तरकरण संख्या 38 में भेराराम के सभी वारिसानों का नाम वंशावली अनुसार दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। तीनो बहिनों हमारी सगी बहिने है तथा भेराराम की पुत्रीयां है तथा बहिन शांति व स्व. दोनो बहिनों के वारिसान के नाम भी हमारे साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

अन्त में जवाब मय लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वंशावली अनुसार स्व. भेराराम के पुत्रों व पुत्रीयों का नाम दर्ज किया जावें।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गयी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपील व धारा 5 के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए बहस की गयी बहस के दौरान ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा स्व. भेराराम पुत्र बना जाति भील के वारिसान के नाम भरा गया नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 31.03.1973 खारिज किया जाकर स्व. भेराराम के सभी विधिक वारिसान् का नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब व लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए बहस की गयी। बहस के दौरान स्व. भेराराम पुत्र बनाम जाति

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

भील के विधिक वारिसान का नाम दर्ज किये जाने पर सहमति प्रकट की गई व वंशावली अनुसार नाम दर्ज किये पर कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया गया।

हमने प्रस्तुत अपील, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, जवाब, लिखित बहस, नामान्तरकरण, राजस्व अभिलेख, कानूनी उद्धरणों एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन कर विचार किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत ग्राम भाकरासनी का नामान्तरकरण संख्या 38 अनुसार खसरा नम्बर 185 के खातेदार भैरा पि. बना जाति भील सा. देह खातेदार फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा दिनांक 31.03.1973 को राजुराम, सुरजाराम पि. भेरा जाति भील सा. देह खातेदार के नाम स्वीकृत किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत वंशावली अनुसार स्व. भैराराम के वारिसान सुरजाराम, राजुराम पुत्र है तथा शांति, मुथरा, दियारवकी पुत्रीयां है, पुत्रों के साथ–साथ पुत्रीयां भी स्व. भेराराम की कानूनी प्रथम श्रैणी की वारिसान है इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने स्वीकार किया है। वर्तमान में मुथरा व दियारवकी फौत हो चुकी है तथा मुथरा के वारिसान तुलछाराम, मालाराम, बालाराम, धनाराम, ओमाराम सुमन है जिसमें से मुथरा के पति तुलछाराम भी फौत हो चुका है व दियारवकी के वारिसान मुलतानराम, जगदीश, लीला, ओमी, संतोष है जिसमें से मुलतानराम पति फौत हो चुका है।

ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् एवं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 31.03.1973 को भरते समय लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स के नियमों को ध्यान में रखते हुए स्व. भेराराम के प्रथम श्रैणी के समस्त विधिक वारिसानों की जांच करते तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 15 को ध्यान में रखते हुए पुत्रों के साथ–साथ पुत्रीयों का नाम भी नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये हुए भेराराम पुत्र बना जाति भील निवासी भाकरासनी के समस्त विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही भेरा के दोनो पुत्र सुरजाराम व राजुराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिसमें भेरा पि. बना की 03 पुत्रीयां शांति, मुथरा व दियारवकी का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस् संख्या 01 सुरजाराम व 02 राजुराम की ओर से उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाकर पुत्रीयों का नाम दर्ज किये जाने पर सहमति जाहिर की जाकर इस सम्बधं में अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेंकिग दी गई है जिसमें कहां गया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है उसमें मेरी पूर्ण सहमति है। ऐसी अवस्था में अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज किया जाकर पुनः स्व. भेराराम के समस्त प्रथम श्रैणी के विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण भरा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपीलार्थीगण की ओर से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 31.03.1973 का पेश किया है जो 49 वर्ष पुराना है। जिसके सम्बधं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानूनी उद्धरण सिविल अपील संख्या 1447/2010 निर्णय दिनांक 05.02.2010 जीतनारायण बनाम गोविन्दप्रसाद, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी 1998 आर.आर.डी. पेज–465 माधोसिंह बनाम खमाकवंर प्रस्तुत किये गये है जिसमें नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी में छुट प्रदान की गई है तथा प्रथम श्रैणी के वारिसान पुत्रीयों का नाम भी पुत्रों के साथ–साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए निर्णय पारित किया गया है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को कन्डोन करते हुए ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 31.03.1973 को खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर को प्रति प्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि स्व. भेराराम पुत्र बना जाति भील निवासी गांव भाकरासनी के प्रथम श्रैणी के समस्त विधिक वारिसानों की जांच करते हुए उनको विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नामान्तरकरण पारित करें।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर